फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

सी॰एफ॰ एम॰ एसेट रिकन्स्ट्रक्शन प्रा॰ लि॰ **बनाम** मैसर्स फारच्यून इंफोविजन प्रा॰ लि॰

प्रकरण संख्या 67/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
18.07.2022	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित है। उभय पक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अपने पक्ष में अप्रार्थीगण की बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए सरफेशी एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र इरा न्यायालय में पेश किया गया है, किन्तु दौराने सुनवाई यह पाया गया है कि प्रश्नागत सम्पत्ति के लिए धारा 14 का प्रार्थना पत्र सी एम एम में भी प्रस्तुत किया हुआ है। जिसको विड्रो किये जाने का कोई आदेश प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। एक न्यायालय में कार्यवाही जैरकार रहते हुये उसी अनुतोष के लिए दूसरे समकक्ष न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विरूद्ध है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत धारा 14 सरफेशी एक्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	